

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

श्री अशोक गहलोत  
मुख्यमंत्री, राजस्थान

द्वारा

राजस्थान विधान सभा के समक्ष  
वर्ष 2009-2010 के  
बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत वक्तव्य

26 फरवरी, 2009

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2009-10 के लिए राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. राज्य में कुछ समय पूर्व गत वर्ष के अंत में ही विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए हैं तथा राज्य की जनता ने शासन में परिवर्तन के लिये अपना मत दिया है। संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन मिलने के विश्वास पर जनता ने हमें पुनः राज्य की बागडोर सौंपी है। इस प्रकार राज्य की जनता की पुनः सेवा करने का हमारी सरकार को अवसर प्राप्त हुआ है, जो हमारे लिये गौरव की बात है। मैं आशा करता हूँ कि अभी प्रस्तुत किये जा रहे लेखानुदान एवं आगामी महीनों में

प्रस्तुत किये जाने वाले परिवर्तित बजट (Modified Budget) के माध्यम से हम राज्य की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे।

3. आगामी दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं जिसमें हम केन्द्र की हमारी सरकार के लिये जनता का विश्वास अर्जित करेंगे। चुनाव के समय हमको राज्य के विकास की दिशा एवं आगामी वर्षों के लिये प्रमुख प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिये जनता के विचार जानने का अवसर प्राप्त होगा। राज्य की जनता से मिलने वाले सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम परिवर्तित बजट प्रस्तुत करते समय नये कार्यक्रम एवं अन्य नवाचार लागू करने पर गंभीरता से विचार करेंगे।

4. बजट अनुमानों के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के लिए 1 हजार 183 करोड़ 14 लाख रुपये का राजस्व अधिशेष अनुमानित किया गया था, परन्तु राज्य कर्मचारियों हेतु छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के परिणामस्वरूप राज्य

सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का समुचित प्रावधान इन अनुमानों में नहीं रखा गया था। संशोधित अनुमानों में इस हेतु आवश्यक प्रावधान करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2008-09 में राजस्व खाते में 283 करोड़ 2 लाख रुपये का घाटा अनुमानित है।

5. योजना आयोग द्वारा चालू वर्ष की योजना का आकार 14 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, जो संशोधित अनुमानों में 14 हजार 924 करोड़ 53 लाख रुपये होना संभावित है।

6. वर्तमान में समूचा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। हमारे देश पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों में राज्य को मिलने वाले हिस्से की वृद्धि दर में कमी होने के कारण वर्ष 2009-10 के बजट अनुमानों में राजस्व खाते में 913 करोड़ 20 लाख रुपये का

घाटा संभावित है। तथापि हमारी सरकार ने आगामी वर्ष का योजना व्यय 17 हजार 300 करोड़ रुपये से भी अधिक प्रस्तावित किया है, जो इस बात का द्योतक है कि हम राज्य के विकास के लिये कोई कसर नहीं रखेंगे। उल्लेखनीय है कि अब तक की राज्य की यह सबसे बड़ी वार्षिक योजना है। योजना के अनुमोदन के समय योजना आयोग के सम्मुख हमने जो प्राथमिकताएँ प्रस्तुत की थीं उनकी योजना आयोग द्वारा सराहना की गई है तथा आयोग ने हमारी योजना के आकार में चालू वर्ष की तुलना में 23.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूर किया है। मैं माननीय सदन के माध्यम से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार किसी भी प्रकार की चुनौती का मुकाबला करने में पीछे नहीं रहेगी एवं जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

7. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों हेतु ऋण राहत योजना लागू की गई थी। इस योजना के दिशा निर्देशों

के अन्तर्गत राज्यों को Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM Act) लागू करते हुए राजस्व घाटे को वर्ष 2008-09 में समाप्त करना था तथा राजकोषीय घाटे को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना था। FRBM Act लागू करने एवं राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे में अपेक्षित कमी करने के परिणामस्वरूप बकाया केन्द्रीय ऋणों के समेकन के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष राज्य को 308 करोड़ रुपये की ऋण माफी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक योजना के वित्त पोषण हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष में राजस्व घाटे को समाप्त करने की शर्त में शिथिलता प्रदान की है एवं राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत के स्थान पर 3.5 प्रतिशत की सीमा तक रखने की अनुमति दी है। योजना आयोग ने आगामी वर्ष की योजना के वित्त पोषण हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक राज्य के राजकोषीय घाटे को अनुमत करते हुए संसाधनों का आकलन किया है। तदनुसार हमने केन्द्र सरकार से FRBM Act के लक्ष्यों में आगामी

वर्ष के लिये भी शिथिलता देने हेतु निवेदन किया है। अतः केन्द्र सरकार से इस संबंध में निर्णय प्राप्त होने पर FRBM Act के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन हम परिवर्तित बजट के साथ प्रस्तावित करेंगे।

8. FRBM Act की धारा 5 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले, मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण और राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण, सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

9. वर्ष 2009-10 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदानों की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। चूंकि लोकसभा चुनावों के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा कराकर 31 मार्च, 2009 से पूर्व वार्षिक बजट पारित कराया जाना संभव नहीं है, अतः हम वित्तीय वर्ष 2009-10 के पहले चार महीनों के लिए, यथा 31 जुलाई, 2009 तक व्यय हेतु

लेखानुदान का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस लेखानुदान में मांग संख्या 7—निर्वाचन, मांग संख्या 27—पेयजल तथा मांग संख्या 34—प्राकृतिक आपदाओं से राहत के अन्तर्गत पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गई है क्योंकि इन मदों में होने वाला व्यय सामयिक है और इन्हीं महीनों में अधिक व्यय होने की संभावना है तथा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेखानुदान की अवधि यथा 31 जुलाई, 2009 के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जायेंगे।

10. मैं लेखानुदान प्रस्तावों को, स्वीकृत करने के अनुरोध के साथ, माननीय सदन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।